FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत जिला कलक्टर चूरू

इन्द्रसिंह बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू

किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र (स्थगन) संख्या 37 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2020	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कहा कि तहसीलदार चूरू द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत प्रथम अतिक्रमण रिपोर्ट के आधार पर ही दो माह के साधारण सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। जबकि प्राथी को ना ही तो सुनवाई का उचित अवसर दिया है और ना ही एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 91 में प्रथम अतिक्रमण पर कारावास का प्रावधान है। प्रार्थी द्वारा मौके पर रास्ते पर से अपना अतिक्रमण हटा लिया गया है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस के तर्को पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 91(2) में अतिक्रमि के प्रत्येक अनुगामी अतिक्रमण के लिये सिविल कारावास के प्रावधान दिये गये है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ध्यान नही दिया जाकर सिविल कारावास का दण्ड दिया गया हैं। जो खिलाफ कानुन है। अतः प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर। तहसीलदार चूरू के निर्णय 15.7.2020 के द्वारा प्रार्थी को दिये गये दो माह के साधारण सिविल कारावास के दण्डादेश पर अपील के निर्णय तक रोक लगाई जाती है। तहसीलदार चूरू को अलग से स्थगन आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नंबर में कम की जाकर मूल अपील के संलग्न हो। निर्णय आज दिनांक 29.07.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया। **(डॉ. प्रदीप के. गावंडे)** **जिला कलक्टर, चूरू**	